(20)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 25/2022

अजीत पुत्र मनरूप सिंह, जाति जाट, निवासी घरडाना खुर्द (बुहाना), पुलिस थाना सिंघाना, खेतडीनगर, झुंझुनूं मो0न0 7597542285

––प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक (जी0ए0) जिला कलक्टर, जिला झुंझुनूं।

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत सुपुर्दगी वाहन की आर0सी0, लाईसेन्स, डी0एल0 एवं पी0यू0सी0 वाहन संख्या आर0जे0 14 जीएल 3081

––

उपस्थितः–

1. श्री रविन्द्र लाम्बा, एडवोकेट–प्रार्थी की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक–राज्य सरकार की ओर से।

आदेश

दिनांक 18.04.2021

प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी अजीत वाहन सं0 आर0जे0 14 जीएल 3081 जो कि पिक अप है का रजिस्टर्ड स्वामी है तथा उक्त वाहन को प्रार्थी माल ढोने तथा माल भाडा हेतु किराये पर चलाता है। दिनांक 04.06.2021 को थाना खेतडीनगर के तलाशी अभियान मे उक्त वाहन को 3/7 ई0सी0 एक्ट 1955 के अन्तर्गत जप्त कर लिया गया था तथा जप्ती के समय वाहन की मूल आर0सी0 सं0 आरजे 14 जीएल 3081, डी0एल0, इन्श्योरेन्स तथा पी0यू0सी0 सर्टिफिकेट भी उक्त वाहन मे ही थे जिन्हे भी वाहन के साथ ही जप्त कर लिया गया था। दिनांक 06.07.2021 को प्रार्थी अजीत की ओर से उक्त वाहन आरजे 04 जीएल 3081 के साथ उक्त आर0सी0, डीएल, पी0यू0सी0 व इन्श्योरेन्स की सुपुर्दगी हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसके आदेश मे दिनांक 02.08.2021 को उक्त वाहन को प्रार्थी अजीत को सुपुर्द कर दिया गया। परन्तु उक्त आर0सी0, डी0एल0, पी0यूसी0, इन्श्योरेन्स का पुलिस द्वारा चालान के साथ प्रस्तुत करने का कह कर अपने पास ही रख लिया गया था। उक्त घटना दिनांक 04.06.2021 को घटित हुई तथा आज दिनांक 18.01.2022 को लगभग 7.50 महीने बीत जाने पर भी हाल तक उक्त प्रकरण मे चालान पेश नही किया गया है जिससे प्रार्थी को अपनी मूल आर0सी0, डी0एल0, इन्श्योरेन्स तथा पी0यू0सी0 सर्टिफिकेट भी नही मिल रहे है। उक्त आर0सी0, डी0एल0 पी0यू0सी आदि जप्त होने से प्रार्थी अपने वाहन को काम मे नही ले पा रहा है जिससे न केवल वाहन ही खडा–खडा बर्बाद हो रहा है बल्कि प्रार्थी की आर्थिक स्थिति भी बद से बदतर हो रही है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अगर [illegible] आर0सी0, पी0यू0सी0, डी0एल0, इन्श्योरेन्स सर्टिफिकेट की उक्त प्रकरण के अनुसंधान मे आवश्यकता [illegible] को ले उनको प्रार्थी को सुपुर्दगी पर देने का आदेश प्रदान कर अनुग्रहित करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.28 14:52:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर थानाधिकारी पुलिस थाना [illegible]डी से तथ्यात्मक रिपोर्ट [illegible] गई। थानाधिकारी पुलिस थाना खेतडी ने अपने पत्रांक 1419 दिनांक 20.03.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 04.06.2021 को श्री ज्ञानसिंह आर0पी0एस0 वृत्ताधिकारी वृत्त खेतडी चार्ज खेतडी ने मय जाब्ता मय फर्दात मय जब्तशुदा 1600 लीटर डीजल, 15 लीटर पेट्रोल व पिकअप गाडी नं0 आरजे 14

जिला कलक्टर झुंझुनूं

जीएल 3081, नये बेचान उपकरण मय गिरफ्तारशुदा मुलजिमान अजीत कुमार व दीपचंद के उप0 थाना खेतडीनगर होकर फर्दात पेश की कि आज दिनांक 04.06.2021 को समय 7.00 ए0एम0 पर मन ज्ञानसिंह आरपीएस वृताधिकारी बुहाना चार्ज खेतडी को जरिये दूरभाष श्री किरणसिंह उप निरीक्षक थानाधिकारी, पुलिस थाना खेतडीनगर ने ईतला दी कि कोपर–शिमला रोड पर मानोता नदी के पास रात्रिकालीन गश्त अधिकारी श्री धर्मवीरसिंह एचसी 30 व जाब्ता थाना खेतडीनगर द्वारा एक डीजल–पेट्रोल से भरी हुई पिकअप गाडी को डिटेन किया गया है जिसकी जब्ती कार्यवाही की जानी है। उक्त ईतला पर मन वृताधिकारी ज्ञानसिंह आरपीएस सीओ बुहाना चार्ज वृत खेतडी मय जाब्ता श्री रतनसिंह एचसी 2552, श्री रविन्द्र कानि0 1191, श्री भीमसिंह कानि0 172 गनमैन मय वाहन सरकारी चालक श्री घनश्याम कानि0 1204 मय अनुसंधान बॉक्स, लैपटॉप, प्रिंटर के समय 7.10 ए0एम0 पर वृत कार्यालय बुहाना से रवाना होकर समय 8.30 ए0एम0 पर मुताबिक ईतला के कस्बा खेतडीनगर से आगे मानोता रोड पर श्मसान घाट के पास पहुंचा तो श्री धर्मवीरसिंह एचसी 30 मय जाब्ता श्री सतवीरसिंह कानि0 353, श्री कर्मपाल कानि0 171 मय वाहन सरकारी जीप चालक श्री वेदप्रकाश कानि0 1089 पुलिस थाना खेतडीनगर मय डिटेनशुदा वाहन पिकअप नंबर आरजे 14 जीएल 3081 डीजल पेट्रोल से भीरी हुई मय दो शख्सान के खडे मिले। मन सीओ द्वारा श्री धर्मवीरसिंह एचसी 30 थाना खेतडीनगर से पिकअप व शख्सान बाबत पूछा गया तो बताया कि उक्त दोनों व्यक्ति हरियाणा से डीजल–पेट्रोल पिकअप मे भरकर आ रहे थे जिनमें हमने पीछा कर डिटेन किया है। मन सीओ द्वारा पिकअप को चैक किया गया तो पिकअप के डाले मे आठ प्लास्टिक बडे ड्रम (चार नीले व चार हरे रंग के) व एक सफेद रंग की छोटी प्लास्टिक कैन रखी हुई मिली तथा आगे केबिन मे ड्राईवर सीट के नीचे नये बेचान उपकरण एक प्लास्टिक कीमा (कीप) व एक लोहे की बैरल मशीन (पंप) रखे हुए मिले। मन सीओ द्वारा शख्सान से नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम अजीत कुमार पुत्र मनरूपसिंह जाति जाट, उम्र 31 साल निवासी घरडाना खुर्द, पुलिस थाना सिंघाना जिला झुंझुनूं होना बताकर स्वयं को वाहन चालक होना बताया। दूसरे शख्स ने अपना नाम दीपचंद पुत्र धर्मवीरसिंह, जाति जाट, उम्र 23 साल, निवासी वार्ड नं0 7, सिवानी, पुलिस थाना भिवानी हरियाणा होना बताया। शख्स मुजकुरान अजीत कुमार व दीपचंद से वाहन व उसमे रखे हुए ड्रमों के बारे मे पूछताछ की गई तो अपने होना बताकर ड्रमों मे हरियाणा से डीजल व पेट्रोल भरकर लाना बताया। मन सीओ व जाब्ता द्वारा पिकअप मे रखे हुए ड्रमों के ढक्कन खोलकर चैक किया गया तो सभी ड्रमों मे तरल पदार्थ भरा हुआ मिला जिसकों मन सीओ व जाब्ता द्वारा सूंघकर चैक किया गया तो डीजल की बू आ रही है। पिकअप के डाले मे रखे हुए एक सफेद प्लास्टिक केन के ढक्कन को खोलकर चैक किया गया तो केन मे करीब 15 लीटर तरल पदार्थ भरा हुआ है जिसको मन सीओ व जाब्ता द्वारा सूंघकर चैक किया गया तो पेट्रोल की बू आ रही है। मन सीओ द्वारा दोनों शख्सान से इतनी मात्रा मे डीजल व पेट्रोल अपने कब्जे मे रखकर परिवहन करने के संबंध मे लाईसेंस/अनुज्ञा पत्र बाबत पूछा गया तो कोई लाईसेन्स/अनुज्ञा पत्र नही होना बताया। शख्स मजकुरान अजीत कुमार व दीपचंद का उक्त कृत्य जुर्म धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की खिलाफवर्जी मे आना पाया जाने पर कार्यवाही हेतु स्वतंत्र मौतबीर तलब करने हेतु श्री सतवीरसिंह कानि0 353 थाना खेतडीनगर को रवाना किया गया जिसने थोडी देर बाद उपस्थित होकर बताया कि लॉकडाउन के कारण कोई स्वतंत्र मौतबीर नही मिला है जिस पर मौजूदा जाब्ते मे से श्री धर्मपालसिंह एचसी 30 व श्री कर्मपाल कानि0 171 थाना खेतडीनगर को मौतबीर मामूर कर शख्सान द्वारा अवैध डीजल–पेट्रोल परिवहन मे प्रयुक्त वाहन [illegible] किया गया तो पिकअप का केबिन सफेद रंग एवं डाला स्लेटी रंग का है। पिकअप के आगे [illegible] रंग की नंबर प्लेट लगी है जिस पर आरजे 14 जीएल 3081 अंकित है पिकअप के चैचिस नंबर [illegible]RR2AEA42M43306 ईंजन नम्बर AB41M75823 है। शख्स मजकूर अजीत कुमार से वाहन के [illegible] के बारे मे पूछा तो किसी प्रकार के कागजात पास नही होना बताया। जिस [illegible] बतौर वजह सबूत जब्त किया जाकर कब्जा पुलिस लिया गया। शख्स मजकुरान अजीत कुमार व दीपचंद को पृथक से जरिये फर्द गिरफ्तार किया जा रहा है। वापसी पर थाना नियमानुसार अभियोग पंजीबद्ध करवाया जावेगा आदि पर प्रकरण संख्या 122/2021 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 मे कायम कर अनुसंधान आरम्भ किया गया। अनुसंधान के दौरान गवाहान श्री ज्ञानसिंह आरपीएस, श्री रतनसिंह एचसी 2552, श्री रविन्द्र कानि0 1191,

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.28 14:52:58 IST
Reason: SelfAttested

श्री भीमसिंह कानि0 172, श्री धर्मवीरसिंह एचसी 30, श्री सत्यवीरसिंह कानि0 353, श्री कर्मपाल कानि0 171 से अनुसंधान कर धारा 161 सीआरपीसी बयान लेखबद्व किये गये। मुलजिमान अजीत कुमार व दीपचंद से तफ्तीश की गई। प्रकरण मे नक्शा मौका घटनास्थल मुर्तिब किया गया। प्रकरण हाजा मे मुलजिमान को बाद अनुसंधान पेश न्यायालय कर न्यायिक अभिरखा मे भिजवाया गया। वाहन मालिक श्री अजीत से अनुसंधान कर वाहन पिकअप नं0 आरजे 14 जीएल 3081 के असल दस्तावेजात् आरसी, इन्श्योरेन्स व वाहन वालक का ड्राईविंग लाईसेन्स जप्त किया गया है। प्रकरण मे मुलजिमान के कब्जे मे मिले अवैध डीजल व पेट्रोल के दौराने जप्ती लिये गये परीक्षण सैंपलों को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर मे जमा करवाया गया है जिनकी परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् माननीय न्यायालय सीजेएम झुंझुनूं के समक्ष चालान मय असल दस्तावेजात् के पेश किया जाना शेष है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण मे चालान पत्रावली मय जब्तशुदा असल कागजात् आरसी, इन्श्योरेन्स व वाहन चालक का ड्राईविंग लाईसेन्स के माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जाने से पूर्व असल दस्तावेज वाहन मालिक को सुपुर्द किया जाना अनुसंधानिक दृष्टि से उचित नही है। रिपोर्ट श्रीमान् की सेवामे वास्ते अवलोकनार्थ व उचित आदेशार्थ प्रेषित है।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि प्रार्थी अजीत वाहन सं0 आर0जे0 14 जीएल 3081 जो कि पिक अप है का रजिस्टर्ड स्वामी है तथा उक्त वाहन को प्रार्थी माल ढोने तथा माल भाडा हेतु किराये पर चलाता है। दिनांक 04.06.2021 को थाना खेतडीनगर के तलाशी अभियान मे उक्त वाहन को 3/7 ई0सी0 एक्ट 1955 के अन्तर्गत जप्त कर लिया गया था तथा जप्ती के समय वाहन की मूल आर0सी0 सं0 आरजे 14 जीएल 3081, डी0एल0, इन्श्योरेन्स तथा पी0यू0सी0 सर्टिफिकेट भी उक्त वाहन मे ही थे जिन्हे भी वाहन के साथ ही जप्त कर लिया गया था। दिनांक 06.07.2021 को प्रार्थी अजीत की ओर से उक्त वाहन आरजे 04 जीएल 3081 के साथ उक्त आर0सी0, डीएल, पी0यू0सी0 व इन्श्योरेन्स की सुपुर्दगी हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसके आदेश मे दिनांक 02.08.2021 को उक्त वाहन को प्रार्थी अजीत को सुपुर्द कर दिया गया परन्तु उक्त आर0सी0, डी0एल0, पी0यूसी0, इन्श्योरेन्स का पुलिस द्वारा चालान के साथ प्रस्तुत करने का कह कर अपने पास ही रख लिया गया था। उक्त घटना दिनांक 04.06.2021 को घटित हुई तथा आज दिनांक 18.01.2022 को लगभग 7.50 महीने बीत जाने पर भी हाल तक उक्त प्रकरण मे चालान पेश नही किया गया है जिससे प्रार्थी को अपनी मूल आर0सी0, डी0एल0, इन्श्योरेन्स तथा पी0यू0सी0 सर्टिफिकेट भी नही मिल रहे है। उक्त आर0सी0, डी0एल0 पी0यू0सी आदि जप्त होने से प्रार्थी अपने वाहन को काम मे नही ले पा रहा है जिससे न केवल वाहन ही खडा–खडा बर्बाद हो रहा है बल्कि प्रार्थी की आर्थिक स्थिति भी बद से बदतर हो रही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अगर उक्त मूल आर0सी0, पी0यू0सी0, डी0एल0, इन्श्योरेन्स सर्टिफिकेट की उक्त प्रकरण के अनुसंधान मे आवश्यकता ना हो तो इनको प्रार्थी को सुपुर्दगी पर देने का आदेश प्रदान कर अनुग्रहित करे।

राजकीय अभिभाषक ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि थानाधिकारी पुलिस थाना खेतडी ने अपने पत्रांक 1419 दिनांक 20.03.2022 द्वारा रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण मे चालान पत्रावली मय जब्तशुदा अस[illegible] व वाहन चालक का ड्राईविंग लाईसेन्स के माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा[illegible] पू[illegible]सल दस्तावेज वाहन मालिक को सुपुर्द किया जाना अनुसंधानिक दृष्टि से उचि[illegible] सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.28 14:52:58 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व थानाधि[illegible]री, पुलिस थाना, खेतडीनगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया। थानाधिकारी, पुलिस थाना, खेतडीनगर की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण मे चालान पत्रावली मय जब्तशुदा असल कागजात् आरसी, इन्श्योरेन्स व वाहन चालक का ड्राईविंग लाईसेन्स के माननीय

ला कलक्टर झुन्झुनूं

न्यायालय के समक्ष पेश किये जाने से पूर्व असल दस्तावेज वाहन मालिक को सुपुर्द किया जाना अनुसंधानिक दृष्टि से उचित नही है कथन सही प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति थानाधिकारी पुलिस थाना खेतडीनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 18.04.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट,
झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.28 14:52:58 IST
Reason: SelfAttested